कार्यालय : निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 / सदस्य सचिव, यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग–2024 इन्दिरा भवन, आठवॉ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

विज्ञप्ति

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग–2024 के द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय सारणी।

द्वितीय काउन्सिलिंग चक्र			
क0स0	विवरण	दिनॉक / समय	कुल दिवस
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनॉक 16 / 10 / 2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनॉक 18 / 10 / 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक	03
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनॉक 16 / 10 / 2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 18 / 10 / 2024 को सायं 04:00 बजे तक	03
3	आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक 16 / 10 / 2024 से दिनांक 18 / 10 / 2024 तक (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	03
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनॉक 19 / 10 / 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे	-
5	ऑनलाइन **च्वाईस फिलिंग** (वरीयता विकल्प भरने) एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनॉक 19 / 10 / 2024 को अपराह्न 02:00 बजे से दिनॉक 21 / 10 / 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक	03
6	अनंतिम सीट आवंटन सूची / सूचियों का प्रकाशन	दिनॉक 21 / 10 / 2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक	-
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक 22 / 10 / 2024 एवं दिनॉक 23 / 10 / 2024 को (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	02
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक 22 / 10 / 2024 से दिनॉक 25 / 10 / 2024 को सायं 05:00 बजे तक	04
9	प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अन्तिम तिथि	दिनॉक 25 / 10 / 2024 से दिनांक 26 / 10 / 2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक	-
10	अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनॉक 26 / 10 / 2024 को अपराह्न 01:00 बजे तक	-
11	नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त (अपग्रेडेड) अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 28 / 10 / 2024 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक	01
12	अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक 28 / 10 / 2024 से दिनांक 30 / 10 / 2024 को सायं 05:00 बजे तक	03

- **द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना (choice filling) अनिवार्य है।**
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग मे पंजीकरण नही कराया था, वह काउंसिलिंग–2024 की वेबसाइट https://www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर पंजीकरण शुल्क रूपये–2000 /– एव धरोहर धनराशि जमा करके प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से सीट आवंटित न हुई हो, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की फिर से आवश्यकता नही है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाईस फिलिंग कर सकते है।
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से सम्बन्धित काउन्सिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन (reshuffing) के लिये द्वितीय चक्र में च्वाईस फिलिंग कर प्रतिभाग कर सकते है। अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें, अन्यथा की स्थिति में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट फिर से आवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना होगी।

Scanned with CamScanner

पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।

- द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भॉति सीट अपग्रेडेशन की प्रकिया की जायेगी।
- अभ्यर्थी यदि अपने लिए आवंटित सीट पर प्रवेश नही लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि (राजकीय आयुष कालेज हेतु रूपये–20,000/– एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेज हेतु रूपये–50,000/–) विभाग के पक्ष में जब्त हो जायेगी।
- स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 01.04.2024 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रमाणित नही होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी/उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जायेगी।
- अर्हता का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख, मूलरुप में लेकर निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नही होती है तो ऐसी दशा में तद्सम्बन्धित लाभ /अभ्यर्थन समाप्त अथवा निरस्त कर दिया जायेगा।
- अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेख सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसके अभाव में उसका सत्यापन पूर्ण नहीं हो सकेगा।
- **ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**
- **Help Line Number (Mob.) : +91-7376520591, +91-7376524687**
  Email ID :upayushcounselling2022@gmail.com

दिनांक 11.10.2024

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक, होम्योपैथी
उ0प्र0/सदस्य सचिव।

Scanned with CamScanner